GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provisions of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 300 per day or Rs. 9000 per month w.e.f. 01-04-2021.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the

9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021** as under:-

\sim 4	CXX7 I	
I otogory	of Workers	3
Calcent	UI YY UI KUI	•

Revised Wages

Daily Monthly

1 2 3

UN-SKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-	300	9000
II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting		
Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for		
Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar		

/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

SEMI-SKILLED WORKER:

318.57 9557

Rupees

Rupees

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jubliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Asstt. Gardner/ Gauge reader/ Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = **Rs.** 1778.63 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1983.95 per 100 cft.

SKILLED WORKERS:

Rupees Rupees

348.21

10446

Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter /

Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker above) Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees	
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-	414.03	12421	
I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-			
I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter			
Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant			
Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller			
Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/			
Chemical Analyser.			

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store	348.21	10446
Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking		
Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint		
Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/		
Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts		

Clerk/Stenographer.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i)**Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provisions of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021 as under:-**

General Staff Unskilled Rs.300 per day, Rs. 9000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semiskilled

Rs. 311.12 per day, Rs.9334 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder

- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 339.87 per day or Rs. 10196 per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 376.94 per day or Rs. 11308 per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 339.87 per day or Rs. 10196 per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs.357.30 per day or Rs.10719 per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.421.40 per day

Rs. 12642 per month.

RUNNING STAFF	Per Day	Per month
1.Driver	Rs.380.89	Rs. 11427
2.Conductor	Rs.347.59	Rs. 10428
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.325.25	Rs. 9757
4.Part-Time Booking Clerk	Rs.193.72	Rs. 5812

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No.11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 14-07-2021 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. 01-04-2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021 as under:-**

Category of employees	Where no	Where food, tea &
	benefit is	combined
	provided	accommodation
		provided

Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/		
Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/	Rs.300	Rs 274.47 Daily
Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messanger/ Clock	Daily	Rs.8234 Monthly
Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/	Rs.9000	RS.0254 Monthly
Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Monthly.	

Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.316.99	Rs. 289.12 Daily
Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman	Daily.	Rs.8674 Monthly
/ Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector	Rs.9510	
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/	Monthly.	
Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/		
Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/		
Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant		
Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/		
Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/		
Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/		
WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-		
matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant		
Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/		
ITI Certificate Holder.		

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.348.21	Rs. 320.06 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant	Daily.	
Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/	Rs. 10446	Do 0602 Monthly
Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/	Monthly.	Rs.9602 Monthly.
Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder /		
Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/		
Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer		
/Barber/Regular machine man/ machinist/		
Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptio		
nist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head		
bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate		
holder who are working in the same trade.		

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head	Rs.362.34	Rs. 335.37 daily
Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	Daily.	Rs.10061 Monthly
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Rs. 10870	
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Monthly	

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No.11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04.2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly

UNSKILLED WORKEPRS

1	Felling of trees:	Rs.300.00	Rs.9000
	1.Lopper (Changi) 2.Feller (Garani)	Rs.316.99 Rs.306.70	Rs.9510 Rs.9201
2	Logging and sawing including timber passing:		
	1.Dresser (Panchani)	Rs.306.70	Rs.9201
	2.Sawyer (Charani)	Rs.376.94	Rs.11308

	3.Blacksmith	Rs.353.92	Rs.10618
3	Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
	Mazdoor for carriage	Rs.306.70	Rs.9201
	2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.306.70	Rs.9201
4	Carriage of timber by Aerial ropeways:		
	1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.376.94	Rs.11308
	2.Span Mistry	Rs.353.92	Rs. 10618
5	Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bahaan and Darya Bahaan (River floting):		
	1. Mohri-wala Mistry	Rs.403.83	Rs.12115
	2. Taru	Rs.387.60	Rs. 11628
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.362.34	Rs. 10870
	4. Darya-man	Rs.387.60	Rs.11628
	5. Ghalu	Rs.329.67	Rs.9890
	6. Jamadar	Rs.329.67	Rs.9890
6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1.Surveyor	Rs.379.20	Rs.11376
	2.Ski-line Operator	Rs.353.92	Rs.10618
	3 Truck Driver	Rs.331.99	Rs.9960
	4. Compressor Driver	Rs.331.99	Rs.9960
7	Clerical Staff:		
	1.Manager	Rs.436.53	Rs.13096
	2.Accountant	Rs.337.09	Rs. 10113

3.Munshi/	Typist o	elerk
-----------	----------	-------

Rs. 306.70

Rs. 9201

8. Saw Mill Workers:

	1.Band Saw Mistry	Rs.353.92	Rs.10618
	2.Supervisor	Rs.350.53	Rs. 10516
	3.Head Mistry	Rs. 353.92	Rs.10618
	4.Boiler Driver	Rs.353.92	Rs.10618
	5.Assistant Mistry	Rs.311.12	Rs.9334
	6.Planner Mistry	Rs.311.12	Rs.9334
	7.Helper	Rs.306.70	Rs.9201
	8.Cutter man	Rs.306.70	Rs.9201
9	Katha Extraction:		
	1.Feller and Chipper	Rs.306.70	Rs.9201
	2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.306.08	Rs.9182

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.414.03 Daily. Rs.12421 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision (Act No.11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 300.00 Daily.
	Rs. 9000 Monthly.

Semi Skilled

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Rs. 309.27 Daily.

Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Rs. 9278 Monthly.

Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant ,

Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant,

Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I,

Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular,

Hageman, ITI Certificate Holder.

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Rs. 348.21 Daily.

Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman,
Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman,
Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant
Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman,
Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are
working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 414.03 Daily.

Rs. 12421 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated

Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision (Act No.11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

Rs.300Daily or

Rs.9000 Monthly.

Rs. 309.27 Daily or

Rs. 9278 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic,

Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs.348.21 Daily.
Rs.10446 Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I,

Rs.414.03 Daily.

Rs.12421 Monthly.

Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter

Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs.321.87 Daily.

Rs.9656 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
 - 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas as per provision of (Act No. 11 of 1948) of clause (a) sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers

Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

Rs. 9000 Monthly.

Rs. 300.00 Daily or

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 21.70 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 17.17 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 12.80 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 21.70, Rs. 17.17 Rs. 12.80 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory and Tea Plantations. **Rs.305.01** per day, **Rs.9150** per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor, Rs. 300 daily

relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 9000 Monthly.

Fermenting room workers, tea boys,

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Rs. 300 daily

Muharirs etc. who maintain records of a field work
Rs. 9000 Monthly.

and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

5. Compounder

1. Accountant	Rs. 458.46	Rs.13754 per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 348.21	Rs.10446 per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 364.97	Rs.10949 per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.305.01	Rs.9150 per month plus free benefit as admissible.
		Daily Monthly

Rs.424.69

Rs.12741

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.380.88	Rs.11427
7. Mechanic,	Rs.428.11	Rs.12843
8. Assistant Mechanic	Rs.379.20	Rs.11376
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	Rs.428.11	Rs.12843
10.Electrician-cum- Mechanic Grade-II	Rs.379.20	Rs.11376

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.
- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

Dated

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision(Act No. 11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers Rs. 300 per day or Rs. 9000 per month

Semi-skilled Rs. 309.27 P.D. or Rs. 9278 per month

Skilled & clerical staff Rs. 348.21 P.D. or Rs. 10446 per month

Highly-Skilled Rs. 414.03 P.D. or Rs. 12421 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9th

10. HOTEL AND RESTAURANTS

September, 2021

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) of clause (a) sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/	Rs. 300 Daily	Rs. 274.47 Daily
Masalachi/ Gateman/ Waterman/	Rs.9000 Monthly	Rs. 8234 Monthly
Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/		

Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER:

Rupees

Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman

Rs. 316.99 Daily

Rs 290.11

/ Assistant Baker/Cook/ Assistant

Rs.9510 Monthly

Rs.8703 Monthly.

Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant

Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer / Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS:

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade. Rupees. Rupees.

Rs. 348.21 Daily Rs. 320.06 Daily

Rs.10446 Monthly. Rs. 9602 Monthly.

Highly Skilled Rupees. Rupees.

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Rs. 362.34 Daily Rs. 335.37

Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Rs.10870 Monthly. Rs. 10061 Monthly.

Head Butler/Head Baker/ Head

Confectioner/Head mechanic/ Electrician/

Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter

(Tailoring)

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9th September, 2021

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01-04--2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01-04--2021 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers Rs. 300 per day or Rs. 9000 per month

Semi-skilled Rs. 316.99 per day or Rs. 9510 per month

Skilled Rs. 348.21 per day or Rs. 10446 per month

Highly skilled Rs. 362.34 per day or Rs 10870 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers

Minimum Wages

	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump	300	9000
Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator,		
Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper		
to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper		
to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner,		
Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to		
Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy		
Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant,		
Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture		

Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior 318.57 JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Eletrician, Mali

9557

10446

SKILLED WORKERS:

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching 348.21

Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT

Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior 414.03
Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine
Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving
Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator,
Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic,
Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar
Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter,
Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy
Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray,
Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior
Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator,
Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory
Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi
(Above 8 Years Experience).

114.03 12421

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2. the

9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper,	Rs.300	Rs.9000
Store Helper, House Keeping Helper, Peon.		

Semi Skilled

Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW- Rs.309.27 Rs. 9278

Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper,

Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.

Skilled

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Rs. 348.21 Rs. 10446 Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion **Rs. 414.03 Rs. 12421** Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper

discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I D

Dated

Shimla-2, the

9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.) dated

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 14-07-2021 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. 01-04-2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01-04-2021 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy,	300 Daily	274.47 Daily
Office Boy and Masalchi.	9000 Monthly.	8234 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Securit Sweeper, Operation Theatre Assistant,	t 316.99 Daily.	289.12 Daily.

Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi,	9510	8674 Monthly.
Complaint Attendant, Ward Boy and	Monthly	

Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory	348.21	320.06
Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai,	Daily.	Daily
Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark		
Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator,	10446	9602 Monthly.
Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant,	Monthly	
Operation Theatre Technician, Eye Refractionist,		
Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data		
Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook,		
Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years		
experience)		

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician,	362.34	335.37
Senior Technician, Senior Radiographer, Senior	Daily.	Daily
Compounder. Accountant and Stenographer	10870	10061
	Monthly	Monthly.

NOTE:-

Ward Attendant (0-3 Years Experience)

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9thSeptember,2021 Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01-04--2021 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and	300 Daily	246 Daily.
Washer man	9000 Monthly.	7380 Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	316.99 Daily.	256.88 Daily,
	9510 Monthly	7306 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	348.21 Daily.	276.92 Daily
	10446 Monthly	8303 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must

posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the

9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

16. Safai Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily Monthly	
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and	Rs. 300 Rs.9000	
Cartman,		

Semi Skilled

Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant **Rs.309.27 Rs. 9278** Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.

Skilled

Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Rs 348.21 Rs. 10446

Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, Rs. 414.03 Rs. 12421

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 14-07-2021wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. 01-04-2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Minimum Wages Act (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 300	Rs.9000
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store	Rs. 309.27	Rs.9278
Munshi and Complaint Attendant.		
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper,	Rs. 348.21	Rs.10446
Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry		
Operator and Cashier.		

Security Officer, Security Manager,

Rs.414.03

Rs.12421

Stenographer and Accountant.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	300 Daily	274.47 Daily
	9000 Monthly	8234 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	316.99 Daily	289.12 Daily

Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, 9510 Monthly
Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali,
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and
Complaint Attendant.

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit,	348.21 Daily	320.06 Daily
Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts	10446 Monthly	9602 Monthly
Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator	·	·
and Cashier.		

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan	362.34 Daily.	335.37 daily
Singer, Stenographer, and Accountant.	10870 Monthly	10061 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (ii) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9th September, 2021

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551) (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated Shimla-2, the

9th September, 2021

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2021;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Minimum Wages
Daily Monthly
Rs.300 Rs. 9000

Un-skilled Workers:-

Peon, Office Boy and Masalchi.

Semi-skilled:- Rs.309.27 per day or

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant. Rs. 9278 per month

Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. Rs. 348.21 per day or

Rs. 10446 per month

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant.

Rs. 414.03 per day or

Rs. 12421 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

9th September, 2021 Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
- 3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
- 10. Guard File

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh (Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग अधिसूचना

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार सिमिति गिठत की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14**—**07**—**2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01**—**04**—**2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से 300/—रूपए प्रतिदिन या 9000/—रूपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:—

टिप्पणी-:

- 1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 का अधिनियम (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन—जातीय क्षेत्रों में, न्यूनतम मज़दूरी पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी / (वृद्धि) लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

(i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एव प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग अधिसूचना

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **सडकों** का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई / (कृशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:–

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	मजदूरी
1	दैनिक	मासिक
	2	3
.अकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
भिशती / चिमनी क्लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड—II / गलेजियर / पलम्बर या	300/-	9000/-
वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/		
बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली		
/सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड़ रोलर व कंकरीट		
मिक्सर / मजदूर/ सर्वे बॉय / वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी) /		
ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5		
साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।		
अर्धकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड $-{ m II}$ / मैसन ग्रेड $$ ${ m II}$ / ${ m tagas}$ मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड $$	318.57	9557/-
II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/		
क्रेन-मैन / बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट		
मैन) $/$ क्रेन-मैन $/$ डिस्टैम्परर ग्रेड $-I/$ फिटर ग्रेड $-II$ फलोर $-$ पालिशर $/$		

/ स्टोन ड्रेसर /माली / वैल-सिंकर / व्हाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड—II, टर्नर-ग्रेड— II / पाइप फिटर ग्रेड—II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर | बैटरी चार्जर | ड्रैसर (अर्हित | अनुभवी) | हैमरमैन | कुक | वल्कनाईज़र | नोजल मैन | टनल मैन | एलॉए ट्रोली आपरेटर | एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस) | मकैनिकल एटैन्डैन्ट | टनल जुबली मैन | टनल-मैन | हैल्पर (5 साल और इससे अधिक) | आयल-क्लीनर | नावगाणी | मेट | हैड-वाचमैन | सहायक-लैवलर | खलासी (3 से 8 साल) | स्टोन-ड्रैसर | पम्प-एटैन्डेन्ट | औटा इलेकिट्रशियन ग्रेड-II | गार्डनर | गेज-रीडर | सहायक लैव एटैन्डेन्ट | औटा इलेकिट्रशियन | मोटर-मेट | इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट | टेलीफोन एटैन्डेन्ट | स्टोन-क्रेशर | स्टोन-ब्रेकर | राक स्टोन ब्रेकर | स्टोन-क्रेशर

ी½ इंच से 2 इंच= 1778.63 रुपए प्रति सौ घन फुट

1 इंच से 1¼ इंच = 1983.95 रुपए प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगारः

रु.. पै. रु.. पै. 348.21 10446/-

कारपेन्टर ग्रेड- I / मैसन ग्रेड- I / ब्लैक रिमथ / सेनेटरी फिटर **348.21** ग्रेड- I /अप-होलसल्टर ग्रेड- I / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.- II / जल आपूर्ति फिटर/ कारपेन्टर ग्रेड–II / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- I / दर्जी या टेलर ग्रेड- II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड- I /पाईप फिटर ग्रेड- I/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर /संरचानात्मक फिटर ग्रेड—— II / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-द्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्रशिंग प्लांट फिटर / (बी०) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर /शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ़्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सकेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिल ऑपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस०एल०डी० क्रेन आपरेटर/ (बी०) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ /

ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन/ टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवलरज/ सॉ मिल कटर/केबल जाइन्टर/फोरमैन ग्रेड—II /खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई०एम०ई० / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको—आपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क—मिस्त्री / मोटर—मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी०जी०सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—II ।

उच्च कुशल

लिपिक और गैर- तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / 348.21
10446/स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर
बुकिंग कलर्क /बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी /
कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप / कार /ट्रेक्टर) /
क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक

टिप्पणी-:

/ स्टेनोग्राफर ।

- 1. समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर मे बीस प्रतिशत से अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर—जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्डन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च—कुशलः उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एव प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरों, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01—04—2021 से सशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

300 / - रुपए 9000 / -रूपए

प्रतिदिन प्रतिमास

- (क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी
- (ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)
- (ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है ।

अर्घ-कुशल :

- 1. सहायक इलैकिट्रशियन
- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- 4. सहायक ब्लैक रिमथ
- सहायक कारपेंटर
- 6. सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कुशन-मेकर
- 11. सहायक बोल्केनाइजर
- 12. सहायक पेंटर
- 13. सहायक अपहोलस्टर
- 14. सहायक टायरमैन
- 15. सहायक स्प्रेमैन
- 16. सहायक इलेकिट्रशियन मकैनिक
- 17. सहायक रिट्रेडर
- 18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो।
- 19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक रिमथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग—वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनिस्मथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अविध हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।

रू 339.87 प्रतिदिन या रु.10196/– प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर/ हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर। **रू० 376.94 प्रतिदिन या रु. 11308/**— प्रतिमास

जनरल स्टाफ (लिपिकीय) आदिः

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे **रू० 339.87 या रु.** बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर), लैजर प्रतिदिन प्रितमास

ग्रुप-बीः

मुख्य—निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, रू0 357.30 या रु. स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, प्रतिदिन 10719/— टायर—निरीक्षक ।

ग्रुप–सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर । **रू० 421.40 रु.** प्रतिदिन **12642**/-प्रतिमास

रनिंग–स्टाफः

1 ड्राइवर	₹ 0 0 380.89	₹。 11427/-
	प्रतिदिन	प्रतिमास
२ कंडकटर	रू0 347.59	⊽₀ 10428/−
	प्रतिदिन	प्रतिमास
3 कलीनर –कम –कन्डकटर	₹ 325.25	रु. 9757∕-
	प्रतिदिन	प्रतिमास
4 पार्ट— टाइम बुकिंग क्लर्क	रू० 193.72	₹₀ 5812/–
T 110 OIQ 1 317 1 7017	प्रतिदिन	प्रतिमास प्रतिमास

टिप्पणी:-

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021.

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है

जहां भोजन, चाय, और संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध कराई गई है

अक्शलः

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / चौकीदार रु० 300 प्रतिदिन / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / रुपए 9000 मासिक वाटरमैन / क्लीनर / पैकर/ मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लोक रूम अटेंडेन्ट /पोर्टर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 274.47 प्रतिदिन रुपए 8234 मासिक

अर्धकूशलः.

हैड पोर्टर, पैंटरीमैन / कॉफी –टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक —ऑपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट

रु० 316.99 प्रतिदिन तथा रु० 9510 मासिक रु० 289.12 प्रतिदिन तथा रु० 8674 मासिक

/बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/असिटैंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक-वैल्डर/ सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-सेल्जमैन / सहायक—बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवांइडर/वेटर/ वेयरर / ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर और सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट / 'आई॰टी॰आई प्रमाण पत्र धारक।

कुशल:

ब्लैक रिमथ / टिनरिमथ / वॉचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर रु० 348.21 प्रतिदिन रुपए 320.06 प्रतिदिन मकैनिक / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर बेकर / स्ट्वार्ड / बटलर / फिटर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन–ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डरिमथ / शू—मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक) मुनीम / रिसेप्शनिस्ट / वेटर/ बैरा / स्टोर-कीपर / हैड वेटर हैड-बैरा(वेस्टरन स्टाइल होटल)/ लाइनमैन आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

टेलर/कटर(टेलरिंग)/जनरल रु० 10446 मासिक रुपए 9602/- मासिक

उच्च-क्शलः

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार / रु० 362.34 प्रतिदिन रु० 335.37 प्रतिदिन हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / रु० 10870/- मासिक रु० 10061/- मासिक हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।
```

टिप्पणी:-

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर. 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एव प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरों, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला–2 5. वानिकी उद्योग

9 सितम्बर, 2021

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार सिमित गिटत की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम म	ाजदूरी
		दैनिक	मासिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वृर्क्षो का गिराना	रुपए 300/-	रुपए 9000/-
	1 लॉपर (छांगी)	रुपए 316.99	रुपए 9510/-
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
2	लॉगिंग एण्ड सॉइंग टिम्बर पासिंग		
	सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
	2. सॉयर (चिरानी)	रुपए 376.94	रुपए 11308/-
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 353.92	रुपए 10618/-

3 ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरणः

1. ढुलाई के लिए मज़दूर।	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
लिए मज़दूर।		

4 रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:

 1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर
 रुपए 376.94
 रुपए 11308/

 2. स्पैन मिस्त्री
 रुपए 353.92
 रुपए 10618/

5 पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राइ स्लाइड), नाला बहान दरिया बहान (रिवर फलोटिंग) द्वारा ढुलाई:

1. मोहरी —वाला मिस्त्री	रुपए 403.83	रुपए 12115/-
2. तारू	रुपए 387.60	रुपए 11628/-
3. असिसटैंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 362.34	रुपए 10870/-
4. दरियामैन	रुपए 387.60	रुपए 11628/-
५. घालू	रुपए 329.67	रुपए 9890/-
६ जमादार	रुपए ३२९ ६७	रुपए १८९० /—

6 यंत्रीकृत लॉगिंग और लकड़ी की निकासीः

1. सर्वेयर	रुपए 379.20	रुपए 11376/-
2. स्काई लाइन ऑपरेटर	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 331.99	रुपए 9960/-
4. कंप्रेशर ड्राइवर	रुपए 331.99	रुपए 9960/-

7 लिपिकीय कर्मचारिवृन्दः

1. मैनेजर	रुपए 436.53	रुपए 13096/-
2. एकाउन्टैंट	रुपए 337.09	रुपए 10113/-
3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 306.70	रुपए 9201/-

8 सॉ मिल वर्कर :

1.बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
2.सुपरवाइजर	रुपए 350.53	रुपए 10516/-
3.हैड मिस्त्री	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
4.बॉयलर ड्राइवर	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
5.एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 311.12	रुपए 9334/-
6.प्लेनर मिस्त्री	रुपए 311.12	रुपए 9334/-
7.हैल्पर	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
8.कटर मैन	रुपए 306.70	रुपए 9201/-

9 कत्था निकासी :

1. फैलर तथा चिप्पर

रुपए 306.70

रुपए 9201/-

2. कत्था सुपरवाइजर / कत्था प्रौसेसर

रुपए 306.08

रुपए 9182/-

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए **414.03 दैनिक**

रुपए 12421/- मासिक

टिप्पणी-:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए

कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16 / 78 (लेब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021 6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

कर्मकारों के वर्ग संशोधित न्यूनतम दरें दैनिक मासिक अकुशलः **रूपए रूपए** 300/- 9000/-

अर्धकुशलः दैनिक मासिक रूपए **रूपए** 309.27 9278/—

एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ऑपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मथ, एसिटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, ऑयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लैवलर, सेलैक्टर,कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर,हैगमैन, आई०टी०आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशल:

दैनिक मासिक

रूपए

10446/-

सॉल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकिस्मिथ, प्लांट **रूपए** आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट **348.21** ग्रेड—।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ड्राइवर, ड्राफटसमैन, एसिस्टैंट—कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

दैनिक मासिक

उच्च–कुशलः

बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए 414.03 12421/-

टिप्पणीः

- 1. समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्द्ध – कुशल / कुशल / उच्च – कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरों, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल

दैनिक मासिक रूपए रूपए 300/- 9000/-

अर्घकुशलः

टेपर ग्रेड—III, टर्नर ग्रेड— III, ड्रिलर ग्रेड— III, रोमर ग्रेड— III, शेयर मैन ग्रेड— III, मशीनमैन,मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड— III, ब्रजर ग्रेड— III, हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड— III, प्रैस आपरेटर ग्रेड— III, स्प्रे पेंटर ग्रेड— III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड— III, असैम्बलर ग्रेड— III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड— III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड— III, मोपर ग्रेड— III, ग्राइंडर ग्रेड— III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड— III, थ्रेड़ / रोलर आपरेटर ग्रेड— III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— III, फीडर ग्रेड— III, डाइमेकर ग्रेड— III, वैल्डर ग्रेड— III, टिनस्मिथ ग्रेड— III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड— III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड— III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड— III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।

दैनिक मासिक रूपए रूपए 309.27 9278/—

क्शलः

टेपर ग्रेड— II,टर्नर ग्रेड— II ड्रिलर ग्रेड— II शेपर ग्रेड— II शेपर मैन ग्रेड— II, स्लाटरमैन ग्रेड— II, मकैनिस्ट / आपरेटर / ब्रजर ग्रेड— II, लाईनर ग्रेड— II स्प्रे पैन्टर ग्रेड—II, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड— II , प्रेस आपरेटर ग्रेड— II, असैम्वलर ग्रेड— III, ट्रेलर ग्रेड— II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— II, मोपर ग्रेड—II, ग्राईंडर ग्रेड— II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड— II, श्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड— II, बुक स्कर्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड— II, फिटर ग्रेड— II, कारपेंटर / पैटरन मेकर ग्रेड— II, डाईमेकर ग्रेड— II, साइस्टर ग्रेड— II, वैल्डर ग्रेड— II, टिनिस्मथ ग्रेड— II, हैमरमैन ग्रेड— II, ब्लैकिस्मथ ग्रेड—II, टूलसैटर ग्रेड— II, इलेक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड—II, इलेक्ट्रिशन ग्रेड— II, आरमैचर वाईंडर और कॉईल वाईंडर ग्रेड— II, केबल ज्वाईंटर ग्रेड— II, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड— II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड— II, मोल्डर ग्रेड— II, सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

दैनिक मासिक रूपए रूपए 348.21 10446/—

उच्च–कुशल:–

टर्नर ग्रेड— I,ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड— I, शेपर मैन ग्रेड— I,सलाटरमैन ग्रेड— I, मिलर ग्रेड— I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड— I,िफटर ग्रेड— I, कारपेंटर / पैटर्न मेकर ग्रेड— I,डाईमेकर ग्रेड— I,एन्ग्रेवर ग्रेंड— I, व्लैकिस्मिथ ग्रेड— I,डाईसैटर ग्रेड— I,टूल सैटर ग्रेड— I,इलैक्ट्रिशियन ग्रेड—I

12421/-
रूपए
मासिक

लिपिकीय कर्मचारिवृन्दः

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

 दैनिक
 मासिक

 रूपए
 रूपए

 321.87
 9656 /

टिप्पणी:-

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
 - (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार सिमिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

कर्मकारों के वर्ग संशोधित न्यूनतम मजदूरी चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, रूपए रूपए छायावरण (शेड लोपिंग) निराई, कांट —छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई 300 /—दैनिक 9000 /— मासिक आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

ए—ग्रेंड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है या तोड़ती है, तो उसे **21.70** रूपए प्रति किलोग्राम, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेंड पत्तियां—यदि पतियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है या तोडती है, तो उसे 17.17 रूपए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेंड पत्तियां———यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है या तोड़ती है, तो उसे 12.80 रूपए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के —'ए','बी व 'सी' ग्रेड के लिए 21.70 रूपए, 17.17 रूपए और 12.80 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 305.01रूपए प्रतिदिन, 9150/— रूपए प्रतिमास मिलेंगें ।

कारखाना : रूपए 300/- दैनिक और इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रूपए 9000 /-मासिक

रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मज़दूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार,

टी ब्वाएज, सार्टज, टी-मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

पौधरोपण : रूपए **300** रूपए दैनिक रूपए **9000** मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

लिपिकीय और गैर-तकनीकी पर्येवक्षण कर्मचारिवृन्दः

- 1. लेखाकार रूपए 458.46 प्रतिदिन रूपए 13754/- प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 2. लिपिक रूपए 348.21 प्रतिदिन रूपए 10446 / –प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 3. मुन्शी रूपए **364.97** प्रतिदिन रूपए **10949**/— प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
- 4. चपरासी / रूपए 305.01 प्रतिदिन रूपए 9150 / प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा जो चौकीदार / लिपिक जो अनुज्ञेय हैं। चौधरी

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रूपए 424.69	रूपए 12741/-
6.	ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रूपए 380.88	रूपए 11427/-
7.	मकैनिक	रूपए 428.11	रूपए 12843/-
8.	असिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 379.20	रूपए 11376/-
9.	इलैक्ट्रीशियन $-$ कम $-$ मकैनिक ग्रेड $-I$	रूपए 428.11	रूपए 12843/-
10.	इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड —II	रूपए 379.20	रूपए 11376/-

टिप्पणी:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- उन्हों किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार। संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एव प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरों, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16/78(लैब)एम. डब्लयू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला—2 9 सितम्बर,2021 9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—ट में यथापरिभाशित विनिर्माण प्रकिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रकिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार सिमित गिठत की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—04—2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

अकुशल कर्मकार अर्द्ध—कुशल कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ) रूपए 300/- प्रतिदिन या रूपए 9000/-प्रतिमास रूपए 309.27 प्रतिदिन या रूपए 9278/- प्रतिमास रूपए 348.21 प्रतिदिन या रूपए 10446/- प्रतिमास

रूपए 414.03 प्रतिदिन या रूपए 12421/- प्रतिमास

उच्च कुशल

टिप्पणी:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

सितम्बर, 2021

10.होटल और रैस्टोरैंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरैंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों के प्रवर्ग जहां कोई प्रसुविधा जहां संयुक्त उपलब्ध नहीं आवास और खाना, कराई गई है चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध कराई गई है

2.

अक्शलः 1.

3.

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी /स्वीपर /मसालची **रूपए** 300 /— **रूपए 274.47 दैनिक** /गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लोक रूम **दैनिक** अटैंडेंट / पोटर /मिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो **रूपए 9000 /— रूपए 8234 /—** अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो । **मासिक** मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैंट्रीमैन / कॉफी–टी मेकर / चपातीमैन / सहायक रूपए-316.99 रूपए 290.11 बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / दैनिक दैनिक सटिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / रूपए 9510/-रू 8703 /-होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर मासिक मासिक / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट वैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रीशयन / सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन / फिल्म रिवांईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर/कलर्क (नॉनमैट्रिक)/ असिस्टेंट स्टोर कीपर / डिस्ट्रीबूटर और असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।

कुशल कर्मकारः

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रूपए 348.21 दैनिक रूपए 320.06 दैनिक बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / रूपये 10446 /— रूपए 9602 /— टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / मासिक मासिक वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) /अकाउटेंट **रूपए 362.34 दैनिक रूपए 335.37 दैनिक** / हैड खजानची / हैड-बृठल / हैड-बृटलर **रूपये 10870/- रूपए 10061/-** / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर **मासिक** मासिक / हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:

- 1, समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- उन्हों किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- अकुशल / अर्द्ध कुशल / कुशल / उच्च कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार (Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर,2021

11 निजी भौक्षिणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी भौक्षिणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अक्शल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए:

न्युनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रूपये 300 दैनिक य	ा रूपये 9000 ∕ — प्रतिमास
अर्द्धे—कुशल	रूपये 316.99 दैनिक य	ग्रा रूपये 9510 / —प्रतिमास
कुशल	रूपये 348.21 दैनिक र	ग रूपये 10446 / – प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपये 362.34 दैनिक य	ग रूपये 10870 / — प्रतिमास

टिप्पणी:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित 2 की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां 3 मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार। संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

सितम्बर, 2021

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01–04–2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक मासिक

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का **रूपए 300**/- **रूपए 9000**/- सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, फिटर का सहायक,

कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्कीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक. सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक. जनरेटर ऑपरेटर का सहायक. वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर –कम–बेलदार,वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर सहायक, स्परवाईजर का सहायक, मैस कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्घ-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्कीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ रूपए 318.57 रूपए 9557/-जेडब्ल्युआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ट एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर,कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डैण्ट, जनेरेटर अटेन्डेट. लोकोमोटिव अटैन्डैण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रैसर, लेबोद्धरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दुरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्पलेंट अटैन्डैण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार:-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेंडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट रूपए 348.21 रूपए 10446/-ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी केन ऑपरेटर. 26 टन डम्पर ऑपरेटर. प्लांट ऑपरेटर. जनेरेटर ऑपरेटर. जेसीबी ऑपरेटर.लोकोमोटिव ऑपरेटर. टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलौंक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर ,मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, स्परवाईजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल स्परवाईजर, (माईंनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो केन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईडंर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर ,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्पयूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :--

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर रूपए 414.03 रूपए 12421/-ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिगं मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मृविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्द्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाईटंर, वरिष्ठ ब्लास्टर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर 40 टन डम्पर ऑपरेटर वरिष्ट ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक. कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट,

नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पणी:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढोतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन—जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों मे निमार्णधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए

कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- त. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16/78(लेब)एम. डब्लयू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " **फार्मास्यूटिकल उद्योग** "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01–04–2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक मासिक

अकुशल कर्मकार:— पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी **रूपए 300/**— **रूपए 9000/**— हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग हैल्पर, चपरासी, ।

अर्ध-कुशल कर्मकार:-तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर रूपए 309.27 रूपए 9278/- (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्लयू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट,।

कुशल कर्मकार:— ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल रूपए 348.21 रूपए 10446/— सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:— सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज रूपए 414.03 रूपए 12421/— एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी० फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरों, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लिनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और किलनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध जहां भोजन, चाय और नहीं कराई गई है संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन, चपरासी, **रूपए 300 / — दैनिक रूपए 274.47 दैनिक** रूप **274.47 दैनिक** रूप **8234 / — मासिक**

अर्घ- कुशल कर्मकार :-

क्लिनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी **रूपए 316.99 दैनिक रूपए 289.12 दैनिक** तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर **रूपए 9510 / —मासिक रूपए 8674 / — मासिक** असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, वार्ड ब्वाय / वार्ड अटैन्डेंट (0 से 3 वर्ष का अनुभव)

रूपए 320.06 दैनिक

रूपए 9602/- मासिक

कुशल कर्मकार :-

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी रूपए 348.21 दैनिक तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, रूपए 10446/- मासिक ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट एसीसटेन्ट, सीएसएसडी कन्ट्रोलर चालक. एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट.स्टोर कीपर.एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर का अनुभव)।

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ **रूपए 362.34 दैनिक रूपए 335.37 दैनिक** इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो **रूपए 10870 /— मासिक रूपए 10061/— मासिक** ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो— ग्राफर ।

टिप्पणी:-

- 1 समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-।

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर, 2021

15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"घरेलू कर्मकार"**के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध जहां भोजन,चाय और नहीं कराई गई है संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर,आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।

रूपए 300/- दैनिक

रूपए 246/- दैनिक

रूपए 9000 /-मासिक

रूपए 7380/- मासिक

अर्घ- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड, माली । रूपए 316.99 दैनिक रूपए 256.88 दैनिक

रूपए 9510/- मासिक रूपए 7306/- मासिक

कुशल कर्मकार :--

कुक और चालक रूपए 348.21 दैनिक रूपए 276.92 दैनिक

रूपए 10446/- मासिक रूपए 8308/-मासिक

टिप्पणी:

 समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध कुशलः अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

सितम्बर,2021

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

न्युनतम मजदूरी अकुशल कर्मकार:-मासिक दैनिक स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन। रूपए 300/-रूपए 9000/-अर्घ- कुशल कर्मकार :-वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, रूपए 309.27 रूपए 9278 /-एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।

कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर **रूपए 348.21** ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

रूपए 10446/-

उच्च कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर।

रूपए 414.03

रूपए 12421/-

टिप्पणी:-

- समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्षे, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16/78(लेब)एम. डब्लयू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर ,2021

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"सुरक्षा सेवाए"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर और वॉच मैन । रूपए 300/- रूपए 9000/- अर्ध-कुशल कर्मकार:सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर रूपए 309.27 रूपए 9278/- मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।
कुशल कर्मकार :सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस रूपए 348.21 रूपए 10446/-

क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी ऑफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनोग्राफर और **रूपए 414.03 रूपए 12421/**— अकाउन्टेन्ट ।

टिप्पणी:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुंरगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक की बढोतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन—जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2 **9 सितम्बर**, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-।

तारीखः शिमला—2

9 सितम्बर,2021

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध जहां भोजन,चाय और संयुक्त नहीं कराई गई है

सुविधा आवास उपलब्ध

कराई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रूपए 300 दैनिक

रूपए .274.47 दैनिक

रूपए 9000/- मासिक

रूपए 8234/- मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, किनष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रूपए 316.99 दैनिक रूपए 289.12 दैनिक टेम्पल अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, रूपए 9510/— मासिक रूपए 8674/— मासिक सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पण्डित, **रूपए 348.21 दैनिक रूपए 320.06 दैनिक** कुक, मौलवी # ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, अकाउन्टस **रूपए 10446/— मासिक रूपए 9602/—मासिक** क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन **रूपए 362.34 दैनिक रूपए 335.37 दैनिक** गायक,स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट, **रूपए 10870 / – मासिक रूपए 10061 / – मासिक**

टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति0 मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामशी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1–16/78(लैब)एम. डब्लयू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीखः शिमला–2

9 सितम्बर,2021

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकारं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14—07—2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।	** * *	रूपए 9000/-
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
हैल्पर कुक, कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट	रूपए 309.27	रूपए 9278/-
स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डैट ।	दैनिक	मासिक
कुशल कर्मकार :-		
इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	रूपए 348.21	रूपए 10446/-
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	दैनिक	मासिक

उच्च कुशल कर्मकार :-सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रूपए 414.03 रूपए 12421/— दैनिक मासिक

टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एंव रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीखः शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि ,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला—171 004 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1—16 / 78 (लैब) एम. डब्लयू / 8 / 07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
- 9. समस्ते उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।